

**डिकरी व मुकदमें इब्तादाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर गीना ,आर.ए.एस

**मु० उनवान चौधरी शिक्षण संस्थान बनाम द्रोपा वगै०**

**दावा बाबत 53,,188 रा०का० अधिनियम**

मुकदमा नंबर 119/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू .....- व हाजरी वादी  
मिनजानिब मुददठ व ..... गिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व  
डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 03.01.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 03.01.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 03.01.2025 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरभीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज - मुबलिग ----- बावत ----- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह  
-----फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ----- की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **12.03.2025** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक		
मीजान			मीजान		



1. चौधरी शिक्षण संस्थान हंतरा जरिये सचिव छत्तारसिंह पुत्र जुगलसिंह जाति जाट  
निवासी हंतरा तह.नदबई (भरतपुर)

- वादी

बनाम

1. द्रोपा पुत्री रामखिलाडी पत्नि परसुराम जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई  
हाल निवासी नंगला धवला तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

✍

12/3/25

सहायक नदबई  
तहसीलदार

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.  
119/2024

रजू दिनांक  
27.06.2024

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
12.03.2025

उनवान

1. चौधरी शिक्षण संस्थान हंतरा जरिये सचिव छत्तरसिंह पुत्र जुगलसिंह जाति जाट निवासी हंतरा तह.नदबई (भरतपुर)

- वादी

बनाम

1. द्रोपा पुत्री रामखिलाडी पत्नि परसुराम जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई हाल निवासी नंगला धवला तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.03.2025 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 3037 रकवा 0.05, 3038 रकवा 0.01, किता 2 रकवा 0.06 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई में स्थित है। जिसका वादी एवं प्रतिवादी स. 1 सहखातेदार हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि वादी व प्रतिवादी की सम्मिलित खातेदारी का रकवा है, उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा वाद पत्र मुताबिक कुरारिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।

12/3/25

वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 03.01.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 03.01.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 03.01.2025 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्या डिक्री आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

12/3/25  
(गंगाधर सीता R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर नदबई

सत्यमेव जयते